NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 44/2017 - Central Tax

G.S.R. 1258(E).—In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in **FORM GST ITC-01**, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017, to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31st day of October, 2017.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं. 9/2017-एकीकृत कर

सा.का.िन.1259(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितंबर, 2017, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.की.िन. सं. 1156(अ), तारीख 14 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में -

(i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ii) "9 टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद), हाथ से बनी शालें ,स्टोल और स्कार्फ	50, 58, 61, 62, 63 सहित";
---	---------------------------

(ii)क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल, नामदा,गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितंबर, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.की.नि. सं. 1156(अ), तारीख 14 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।